FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **संतोष देवी बनाम देवनारायण** **दीवानी वाद संख्या – 24/2021 (125/2017)** **सीआईएस संख्या – 125/2017**	Brief note of Compliance of Order
19.05.2025	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 रिलायंस जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी दिनांकित 31.01.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 रिलायंस जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड ने कथन किए कि प्रकरण में वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.ए. 3529 से दुर्घटना घटित होना बताते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.09.2008 को दर्ज करवाई गई थी। उक्त वाहन का बीमा नेशनल इंश्योरेंश कंपनी द्वारा किया गया जो कि तृतीय पक्ष को होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंश कंपनी को पक्षकार बनाया गया है। तृतीय पक्ष को होने वाली क्षति का बीमा नेशरल इंश्योरेंश कंपनी का है जिसकी बीमा पॉलिसी संख्या 150100/31/07/6300026348 है जो दिनांक 28.08.2008 से दिनांक 27.01.2009 तक की अवधि के लिए तृतीय पक्ष के लिए बीमित है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 रियायंस जनरल इंश्योरेंश कंपनी को पक्षकार मुकदमा हटाए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किए कि प्रकरण में प्रार्थी ने वाहन संख्या आर.जे. 01 जी.ए. 3529 से दुर्घटना घटित होना बताते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.09.2008 को दर्ज करवाई गई है। कथित दुर्घटना वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.ए. 3529 से घटित नहीं हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 रिलायंस जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड को पक्षकार मुकदमा सही बनाया गया है। वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत जवाब से ही उन्हें बीमा पॉलिसी की जानकारी हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 रिलायंस जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई बीमा पॉलिसी पेश नहीं की है ना ही रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पेश किया है। मात्र प्रकरण को विलंब कारित करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से प्रकरण में वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.ए. 3529 से दुर्घटना घटित होना बताते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.09.2008 को दर्ज करवाना बताया गया है तथा उसका बीमा नेशनल इंश्योरेंश कंपनी द्वारा होना बताते हुए स्वयं को गलत रूप से	

	पक्षकार मुकदमा बनाए जाने का कथन किया है। इस संबंध में प्रार्थी की ओर से जो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति पेश की गई है उसका अवलोकन किया जाए तो उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर आर.जे. 01 जी.ए. 3529 अंकित है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर आर.जे. 14 जी.ए. 3529 अंकित नहीं है जबकि अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दुर्घटना वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.ए. 3529 से होना बताई है परंतु ऐसे कोई नंबर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त वाहन आर.जे. 14 जी.ए. 3529 किस व्यक्ति के नाम से है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र पेश नहीं किया ना ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का कोई बीमा प्रमाण–पत्र पेश किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश की गई है उसके अवलोकन से दुर्घटना वाहन संख्या आर.जे. 14 जी.ए. 3529 के द्वारा कारित की गई हो यह तथ्य प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होता है। प्रार्थी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन नंबर आर.जे. 01 जी.ए. 3529 अंकित किए है। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी ने उक्त वाहन संख्या आर.जे. 01 जी.ए. 3529 का बीमा नेशनल इंश्योरेंश कंपनी द्वारा किए जाने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 रिलायंस जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड को बतौर पक्षकार मुकदमा से हटाए जाने को कोई उचित आधार प्रकट नहीं होने से उक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी दिनांक 24.03.2025 को पेश हो। **(शालिनी शर्मा)** **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश** **संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**	